



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा मरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लाक एफ— 5 शिवराज ग्रिन्स, धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.66 हे.; कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.28 हे. एवं कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.08 हे.; कुल 228.042 हे. वन भूमि (Development of Economic Corridors, Inter – Corridors, feeder movement in India (Lot-03/ Odisha & Jharkhand / Package-2) Raipur – Vishakhapatnam (Ch. 0.000 – Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh) भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर—विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त एवं मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 28/12/2021

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

(Rakesh Chaturvedi) I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forests

&
Head of The Forest Force
Deptt. of Forest & Climate Change
Aranya Bhawan, Nawa Raipur (C.G.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-883/ 8138

दिनांक २९/12/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल/ कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल एवं कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter – Corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand / Package-2) Raipur – Vishakhapatnam (CH.0.000-Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) हेतु क्षेत्रफल 228.0425 हे. प्रत्यावर्तन बाबत।

(पंजीयन क्रं- FP/CG/ROAD/119866/2021)

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक शा./ रा/12505 दिनांक 27.12.2021

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 69) – आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लाक एफ- 5 शिवराज ग्रिन्स, धमतरी द्वारा धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.0425 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	योग
1	धमतरी	147.6694	—	—	147.6694
2	केशकाल	28.0382	8.9129	4.3351	41.2862
3	कांकेर	29.9618	—	9.1251	39.0869
	योग	205.6694	8.9129	13.4602	228.0425

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 70 से 73) – वन मंडलाधिकारी धमतरी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/119866/2021 आर्बटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.07.2021 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रुपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 74 से 76) – धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.0425 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 77 से 86) – भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु वन मंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:-

क्र.	वन मंडल	गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)
1	धमतरी	22.6652
2	केशकाल	56.6062
3	कांकेर	124.4556
योग		203.7270

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 87 से 94) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 116) – वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 142) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.0425 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 4068.16 करोड़ बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 143 से 146) – धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे.; कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 एवं कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 228.0425 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 147) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 148 से 150) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 152) – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 153 से 161) – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल का नाम	साईट क्वालिटी	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	धमतरी	II, III, IVA, IVB	62,728
2	केशकाल	III, IVA	9,544
3	कांकेर	III, IVA, IVB	1,5341
योग			87,613

- बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 162 से 169) — परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।
- बि.क्र. 14. — चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) — राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 170) — प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी, धमतरी एवं नोडल अधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 171) — प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, धमतरी एवं नोडल अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 172 से 191 तक) — आवेदित वन भूमि धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.66 हे. केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.28 हे. एवं कांकेर वन मंडल अंतर्गत 39.08 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.042 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि महासमुन्द वन मंडल में 457 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 7,98,897/- प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।
- बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 192 से 208) — वैकल्पिक वृक्षारोपण वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 209 से 212) — वन मंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 213 से 215) — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।
- बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 216 से 218) — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।
- बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 219) — वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 220) — प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 221) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 222) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 223 से 225) — प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 226 से 240) — भाग—2 पर वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल द्वारा दिनांक 25.12.2021 को, केशकाल वन मंडल द्वारा दिनांक 16.12.2021 एवं वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल द्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 25.12.2021, मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 27.12.2021 प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 241 से 243) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 244 से 245) — ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 246 से 248) — जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)
1	धमतरी	212554.000
2	कोण्डागांव	365257.400
3	कांकेर	4084.077
योग		581895.477

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 249 से 251) — जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)
1	धमतरी	587.037
2	कोण्डागांव	126.569
3	कांकेर	680.627
योग		1394.233

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 255 से 258) — जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)
1	धमतरी	25.147
2	कोण्डागांव	20.786
3	कांकेर	—
योग		45.933

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 259 से 261) — वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं केशकाल वन मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र सीतानदी अभ्यारण्य के 10 कि.मी. के परिधि में सरोना परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरक्षित वन 120, 121, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 115, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 152, 153, 154, 155, 156 तथा नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 135, 128, 429 एवं 447 प्रभावित हो रहा है।

इसी प्रकार केशकाल वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित 10 कि.मी. के परिधि में नहीं है अपितु 97.8924 हे. क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटीव जोन के अंतर्गत आते हैं।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 262 से 264) — खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 265 से 268) — वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर धमतरी, कोण्डागांव एवं कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का भारत सरकार, नई दिल्ली का दिनांक 05.02.2013 से जारी दिशा निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 269 से 273) — प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर धमतरी का दिनांक 24.12.2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 274 से 276) — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 277 से 279) — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 280 से 282) — प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है तथा मृदा, वृक्षों / वनस्पतियों के लिए सामान्य एवं उपयुक्त है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 283 से 285) — वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 286) — केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 287) — बिन्दु क्रमांक —2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 288) — आवेदक विभाग द्वारा वन्यप्राणी योजना तैयार कर ऑन लाईन अपलोड किया जा चुका है। संबंधित वन मंडल एवं मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में परीक्षाधीन है।

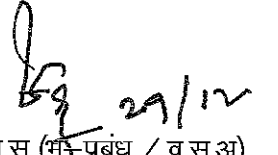
बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 289) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदनुसार का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 290 से 295) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4
(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

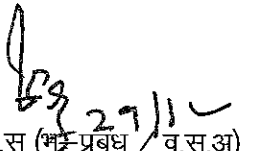

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

क्र0/भू-प्रबंध/ विविध/115-883/ 8/39

रायपुर/ दिनांक 29/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
4. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
5. वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल, केशकाल, छत्तीसगढ़।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़